न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 230/2020 (GCMS C.N. 2020/00289)

आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राज्य सरकार जरिए **बनाम** तहसीलदार बिजौलिया —प्रार्थी

1. चन्दा पत्नि नन्दकिशोर सलावट़ निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय, अधिवक्ता, विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12/03/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी चन्द्रा पत्नी नन्दकिशोर सलावट निवासी बिजौलिया पटवार हल्का बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया के ग्राम बिजौलिया कलां के **आ.न. 1692/1389 रकबा 2 बीघा भूमि** किस्म बारानी दिनांक **24.05.1989** को आवंटन कमेटी द्वारा मिसल नं 398/89 द्वारा आवंटन की गई। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर शर्तों की उल्लंघना की है। मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा। नक्शा–लट्ठा एवं मौका अनुसार उक्त भूमि शक्करगढ चौराहा(बून्दी रोड) से NH-27 तक जाने वाली सडक की सीमा में आ चुकी है। प्रश्नगत भूमि सडक उपयोग में आ रही है जिससे मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। मौका पर्चा, जमाबंदी व आवंटन पत्रावली प्रति संलग्न है। निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर प्रश्नगत भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पंजीबंध किया जाकर, विपक्षी को नोटिस जारी किए गए। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आंवटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार बिजौलियां द्वारा गलत प्रस्तुत किया है। विपक्षी की आराजी स्टेट हाइवे पर नहीं है। बून्दी बिजौलिया हाइवे रोड, बिजौलिया गांव में होकर पुलिस स्टेशन के सामने होकर गुजरा है। यह जमीन पारसनाथ जी के स्थान पर स्थित है। तहसीलदार स्टेट हाइवे रोड बता रहा है जबकि यह लिंक रोड पर स्थित है। प्रश्नगत भूमि वर्ष 1989 में परिवार नियोजन की सरकारी निती के तहत आवंटित हुई। इससे पूर्व इस भूमि पर विपक्षीया के ससुर रतनलाल सलावट का कब्जा था जो मकबुजा बन्जड कदिमी कब्जा खसरा गिरदावरी संवत 2046 में दर्ज है, जो विपक्षी के परिवार का कब्जा चला आ रहा था। बाद में विपक्षीया को प्रोत्साहित किया गया कि जो सरकारी अभियान में नसबंदी ऑपरेशन कराएगा, उसे सरकार कुछ लाभ देगी, जिससे 2 बीघा जमीन विपक्षी को आवंटित हुई। विपक्षी द्वारा कडी शारिरीक श्रम से पत्थर की कोट बनाकर प्रश्नगत भूमि को काबिले काश्त बनाया जो खसरा गिरदावरी में अंकित है। इस प्रकरण में किसी अन्य दीगर समाज के व्यक्ति विपक्षीया की जमीन हडपना चाहते है। विपक्षी को तहसीलदार ने 30 वर्षों से कब्जा काश्त होते हुए भी खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। 30 साल बाद आवंटन निरस्तीकरण का प्रा0पत्र दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया। विपक्षी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बिजौलिया में खातेदार काश्तकार घोषणा प्रसतुत कर रखा है जिसके प्र0स 43/2016 है। अतः यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। विपक्षी विधवा महिला है और जीवन यापन का जरिया यही जमीन है व मजदूरी से पेट भरती है। प्रार्थना है कि तहसीलदार का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाए एवं आवंटन यथावत रखा जाए, इस आराजी की खातेदारी तहसीलदार से विपक्षीया को दिलाया जाए। विपक्षीया ने यह भी कथन दर्ज कराया कि नसबंदी प्रोत्साहन निति के तहत निम्नांकित औरतों को राज्य सरकार से उपहार स्वरूप कृषि भूमि आवंटित हुई जिनके नाम ललिता पत्नी रमेश चन्द्र शर्मा, घीसी पत्नी सोहनलाल तेली, कैलाश देवी पत्नी दुर्गालाल हजुरी, जवाबदाता स्वयं चन्दा पत्नी नन्दकिशोर सलावट, बफात पत्नी रियाजुदीन मुसलमान, शान्ति देवी पत्नी भवानी शंकर ब्राहमण् व सरजु बाई पत्नी हीरा लाल भील शामिल होकर यह कृषि भूमि आवंटित की गई इसलिए यह आवंटन निरस्तीकरण प्रा0पत्र निरस्तनीय है। आ.न 1692/1389 पर सडक नहीं है और रोड रेवेन्यु नक्शे से अलग है। विपक्षीया जवाबदाता की आराजी न तो रोड में आ रही है और एन0एच में आ रही है, जो रेवेन्यु रिकॉर्ड से साबित है एवं न ही यह पी0डब्लयू0डी के खाते राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। आवंटन फोर्ज एवं Misrepresentation से नहीं हुआ है एवं 1999 नियम 14/3 संशोधन के बाद 50प्रतिशत कास्त का नियम प्रभावी नही रहा। विपक्षीया बोनाफाईड आवंटी है। ऐसे प्रकरणों में राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय अपील संख्या 5448/2010 निर्णय दिनांक 22.07.2019 नारायण बनाम राज0 सरकार भीलवाडा में आवंटन को बहाल रखते हुए निर्देश दिए कि काश्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार 10 वर्ष के पश्चात् प्राप्त करने का अपीलाण्ट हकदार है। 30 सालों बाद तहसीलदार ने यह प्रा0पत्र पेश किया जो बेरून मियाद है। जवाबदाता की कृषि भूमि रोड में नही आ रही है न पी0डब्लयू0डी के नाम पर दर्ज है और न एनएच–27 की सीमा में है। गलत तथ्य अंकित किया है, एनएच का नक्शा प्रति पेश है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जरिए प्रार्थना पत्र अपने कथनों को दौहराते हुए कहा कि विपक्षी को 2 बीघा जमीन राज्य सरकार के परिवार नियोजन निती के तहत आवंटन हुई, जिसके साक्ष्य में चिकित्सा विभाग की पर्ची संलग्न है। विपक्षीया 15 वर्षों से विधवा होकर इसी जमीन से अपना जीवन निर्वाह कर रही है। राजस्व रिकॉर्ड जमीन के कब्जा होते हुए गलत अंकित चल रहा है। इसके संबंध में विपक्षीया अलग से कार्यवाही कर रही है। उसमें पटवारी,तहसीलदार ने कब्जा इसी नंबर 1389 कब्जा होने से मान रखा है 1389/1865 में नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट पटवारी में अंकित है। न्यायालय एसडीओ बिजौलिया द्वारा तहसीलदार को जारी पत्र दिनांक 31.07.2025 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। जिस पर तहसीलदार का जवाब दिनांक 14.10.2025 प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में लेण्ड रेवेन्यु इन्सपेक्टर को बुलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में पूर्व कथनों को दोहराते हुए बताया कि पटवारी नक्शा ट्रेस में सम्पूर्ण जमीन रोड में आना बताया जबकि भू–आवंटन की पत्रावली में रास्ता अलग है। धारा 136 आरटीए के दावे में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब व नक्शा ट्रेस पेश किया जिसमें जमीन रोड में नही जा रही है। प्रश्नगत रकबा 2 भागों में बटी 1692/1389 व 1865/1389। प्रश्नगत आराजी विपक्षी को अलोट हुई तभी से रिवेन्यु विभाग द्वारा कब्जा दे दिया गया तभी से पत्थरों की चार दीवारी बनाकर कब्जे काश्त में है। धारा 136 टेनेंसी एक्ट का दावा विवरण 136/2025 चन्दा सलावट बनाम तहसीलदार बिजौलिया पेश है, इस प्रकार विपक्षीया का कब्जा वक्त आवंटन से आदिनांक तक इसी नंबर 1389 पर चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा धारा 2 का गलत आरोप लगाया है, विपक्षी व रूप लाल गोधा का शपथ पत्र कब्जा समर्थन हेतु पेश किए हुए है। मौका कब्जा का प्रमाण 2016 का पेश है। नक्शा ट्रेस के अनुक्रम में तहसीलदार के एसडीएम बिजौलिया के जवाब में विपक्षी का कब्जा और चार दीवारी साबित है। इससे अधिक कब्जे का प्रमाण नही हो सकता है। एनएच–27 विपक्षियां की आवंटनसुदा जमीन से 300 मीटर दूर है जो रेवेन्यु मैप से साबित है। इस प्रकान न तो अप्रोच रोड व न ही एनएच में जमीन आ रही है, उससे हटकर है। विपक्षीया की जमीन एक साखी होने से बरसात में सब्जी व फल उगाने के काम में आती है इसलिए साग दर्ज नहीं की गई जिसके जिम्मेदारी तहसीलदार व पटवारी की है, विपक्षीया 70 वर्षिय जहिफ है इसलिए तहसील से संपर्क नहीं कर सकती है। इसमें विपक्षीया का कोई दोष नहीं है।

12.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विभागीय पेरोकार द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि धारा 131,136 का प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया में तरमीम शुद्धि बाबत् विचाराधीन है। अप्रार्थी की मौजूदा तरमीम हाइवे के बीच एवं कब्जा अन्य स्थान पर है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण, उपखण्ड न्यायालय बिजौलिया में प्रकरण विचाराधीन रहने तक इस न्यायालय की कार्यवाही स्थगित की जाती है। उपखण्ड न्यायालय के निर्णय उपरान्त तहसीलदार बिजौलिया, इस न्यायालय में पुनः पैरवी हेतु अपना पक्ष रखने बाबत् स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.26

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा